न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 01/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. अर्जुन पुत्र जोधाजी जाति चौधरी निवासी बिठुडा तहसील आहोर जिला जालोर		1. श्रीमती लासी पुत्री कस्तुराराम जाति कलबी निवासी बिठुडा तहसील आहोर जिला जालोर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री चुन्नीलाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री चन्दनमल छीपा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 5.10.18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा पारित प्रकरण संख्या 379/2015 लासी बनाम अर्जुन वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.06.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी खातेदारी भूमि ग्राम बिठुडा के खसरा नम्बर 173 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 174 में से 6 मीटर चौडा एवं 124 मीटर लम्बा रास्ता प्रदान कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को नोटिस ही जारी नहीं किया तथा न ही अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिया। रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग खसरा नम्बर 175 में से उपलब्ध होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्रदान किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, वह अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि में आवागमन का अभाव होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जो नोटिस जारी किया गया है, वह अपीलाण्ट से विधिवत तामील हुआ है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा किसी प्रकार की चाराजोही नहीं की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि में अवागमन का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। जैर अपील विवादित भूमि में से अपीलाण्ट द्वारा भूमि क्रय करने से पूर्व से ही रास्ता चल रहा था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसकी पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राशि भी जमा करवाई जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन का अभाव होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के नाम जो नोटिस जारी किया गया, वह नोटिस अपीलाण्ट से व्यक्तिशः तामील ही नहीं हुआ। रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्युअल (भाग–2) के अध्याय 3 के खण्ड (ग) तथा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 16, 17, 18 और परिशिष्ट (ख) का फार्म संख्या 11 व साथ ही आदेश 3 नियम 5 में सम्मन के तामील की प्रक्रिया विहित है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस अपीलाण्ट को जारी किया गया है, वह नोटिस आबाद मकान पर चस्पा किया गया है, विधि अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता 1905 के आदेश 5 नियम 17 से 20 में जो प्रक्रिया विहित है, उसका उद्धरण इस प्रकार है –

आदेश 5 नियम 17 – जब प्रतिवादी तामीली का प्रतिग्रहण करने से इन्कार करे या न पाया जाए, तब प्रक्रिया –– जहॉ प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है, या जहॉ तामील करने वाला अधिकारी सभी सम्यक् और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात प्रतिवादी को न पा सके (जो अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है, जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाये जाने की संभावना नही है) और ऐसा कोई अभिकर्ता नही है, जो समन की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से करने के लिये सशक्त है और न ही ऐसा कोई अन्य व्यक्ति है जिस पर तामील की जा सके, वहॉ तामील करने वाला अधिकारी उस गृह के, जिसमें

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रतिवादी मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर समन की एक प्रति लगायेगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ जिसमें यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वे कौन सी परिस्थितियां थी, जिसमें उसने ऐसा किया, कथित होगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदिकोई हो) नाम और पता कथित होगा, जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी, उस न्यायालय को लौटायेगा, जिसने समन निकाला था।

आदेश 5 नियम 18 – तामील करने के समय और रीति का पृष्ठांकन –– तामील करने वाला अधिकारी उन सभी दशाओं में, जिनमें समन की तामील नियम 16 के अधीन की गई है, उस समय को जब और उस रीति को जिससे समन की तामील की गई थी, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, जिसने उस व्यक्ति को, जिस पर तामील की गई है, पहचाना था और जो समन के परिदान या निविदान का साक्षी रहा था, तो उसका नाम और पता कथित करने वाला विवरणी मूल समन पर पृष्ठांकित करेगा या कराएगा या मूल समन से उपाबद्ध करेगा या कराएगा।

आदेश 5 नियम 19 – तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा –– जहां समन नियम 17 के अधीन लौटा दिया गया है, वहॉ तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा उसकी अपनी कार्यवाहियों की बाबत न्यायालय स्वयं या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उस दशा में करेगा या कराएगा, जिसमें उस नियम के अधीन विवरणी तामील करने वाले अधिकारी द्वारा शपथ पत्र द्वारा सत्यापित नही की गई है और उस दशा में कर सकेगा या करा सकेगा, जिसमें वह ऐसे सत्यापित की गई है और उस मामले में ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और या तो वह घोषित करेगा कि समन की तामील सम्यक् रूप से हो गई है या ऐसी तामील का आदेश करेगा, जो वह ठीक समझे।

आदेश 5 नियम 20 – प्रतिस्थापित तामील – (1) जहॉ न्यायालय का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिये कारण है कि प्रतिवादी इस प्रयोजन से कि उस पर तामील न होने पाये, सामने आने से बचता है या समन की तामील मामूली प्रकार से किसी अन्य कारण से नही की जा सकती है, वहॉ न्यायालय आदेश देगा कि समन की तामील उसकी एक प्रति न्याय सदन के किसी सहज दृश्य स्थान में लगाकर और (यदि ऐसा कोई गृह हो) तो उस गृह के, जिसमें प्रतिवादी का अन्तिम बार निवास करना या कारबार करना या अभिलाभा के लिये स्वयं काम करना ज्ञात है, किसी सहज दृश्य भाग पर भी लगा कर या ऐसी अन्य रीति से, जो न्यायालय ठीक समझे, की जाए।" हस्तगत प्रकरण में इस प्रक्रिया का पूर्ण अभाव सिद्ध हुआ है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट की जो तामील रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वह विधि अनुसार उचित नहीं है। जिसे उचित मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, वह विधिक दृष्टिकोण से त्रुटीपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, वह पक्षकारान् की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, जो विधि सम्मत नहीं है। विधि अनुसार पक्षकारान् की उपस्थिति में ही मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए, जो कि हस्तगत प्रकरण में नहीं की गई है। इन समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण जैर अपील आदेश समर्थन योग्य नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी आहोर द्वारा पारित प्रकरण संख्या 379/2015 लासी बनाम अर्जुन वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.06.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 1.11.18 को उपस्थित रहें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर